International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 06-10-2022; Accepted: 23-10-2022; Published: 10-11-2022
Volume 8, Issue 6, 2022, Page No. 48-55

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्वः मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के विशेष संदर्भ में

आनंद तिवारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र का आधार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गये पंचायती राज प्रतिनिधियों से प्रजातन्त्र की इस आधारभूत कड़ी को मजबूती मिलती है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण तथा समग्र विकास के लिये यह आवश्यक है कि त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था बेहतर रूप से लागू हो। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया तथा महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने वर्ष 2007 से त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। हाल ही में प्रदेश में छठवें पंचायत का निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ है। प्रस्तुत शोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न पंचायत निर्वाचनों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही वर्ष 2022 के छठवें पंचायत निर्वाचन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व का जिलेवार अध्ययन किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण से यह परिणाम प्राप्त हुआ कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आरक्षण की सीमा से अधिक है और इसमें निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिख रही है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है।

मूल शब्दः पंचायत चुनाव 2022; महिला प्रतिनिधित्व; ग्रामीण स्थानीय स्वशासन; महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना
"पंचायतों की शक्ति जितनी अधिक होगी, जनता के लिए उतना ही बेहतर होगा"

– महात्मा गाँधी

लोकतंत्र की सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय शासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो सकता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है, सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही। आम नागरिकों के सबसे करीब होने के कारण जीवंत और मजबूत पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में सबकी भागीदारी और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम होती हैं। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर देश के विकास में अपनी सक्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकें। परंतु विकास की प्रक्रिया में आधी आबादी अर्थात महिलाओं की समान भागीदारी के बिना गाँव के समावेशी विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। ग्रामीण महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में समाहित करने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार समाज के बेहतर विकास के लिए महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी भी आवश्यक है। अतः पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि अधिक होने से महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसका व्यापक असर पड़ता है।

भारत में स्थानीय स्वशासन
प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान रही है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है1956 । में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की बेहतरी हेतु सुझाव देते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। प्रस्तुत सुझाव के आधार पर राज्यों ने अपने अनुसार पंचायतों की स्थापना कर ली, परन्तु विभिन्न कारणों से ये संस्थाएँ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रही। इसके बाद अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सी.एच. हनुमंत राव कार्यदल, जी. वी. के. राव समिति, एल. एम. सिंघवी समिति, पी. के. थुंगन समिति आदि का गठन पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध सुझाव देने हेतु किया गया । अंततः 24 अप्रैल 1993 को 73 वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में भाग 9 तथा 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब राज्य सरकारों के लिए एक वर्ष के भीतर 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। प्रस्तुत निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया।

मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन
मध्यप्रदेश का गठन 01 नवम्बर 1956 को तत्कालीन महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सब डिवीजन सिरोज को मिलाकर किया गया। विभिन्न घटकों में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पृथक–पृथक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1962" बनाया गया। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम वर्ष 1965 में ग्राम पंचायतों का गठन कर उनके प्रथम सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये गए। इसके बाद वर्ष 1981 वर्ष 1981 तथा 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाए गए। मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य बना जिसने भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 तैयार कर प्रदेश की विधानसभा से पारित किया। 26 जनवरी 1994 से प्रदेश में इसे प्रभावशील किया गया। इस अधिनियम में कुल 15 अध्याय, 132 धाराएँ तथा 4 अनुसूचियाँ हैं। समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें संशोधन किए गए हैं। राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियों एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास

विभाग के अधीन स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय के गठन का निर्णय दिनांक 06 दिसंबर 2007 को लिया। यह संचालनालय 1 अप्रैल 2008 से कार्यरत है। आयुक्त पंचायती राज के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यरत है। इनके अधीन पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी कार्यरत है। विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव कार्यरत है। पंचायत विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, तथा अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक एवं अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी काम का सारा दायित्व इन्ही का होता है।

मध्य प्रदेश पंचायत आम निर्वाचन

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायत निर्वाचन श्री एन. बी. लोहानी की अध्यक्षता में वर्ष 1994 में कुल 45 जिलों में संपन्न कराए गए। द्वितीय बार भी पंचायत निर्वाचन श्री एन. बी. लोहानी की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में कुल 61 जिलों में संपन्न कराए गए। उसके बाद वर्ष 2005, 2010, 2015 में पंचायत निर्वाचन वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में हुए। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022, श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तीन चरणों में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। 15 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित हुए जिसमें महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 55.87ः रहा। जिला पंचायत स्तर पर यह प्रतिनिधित्व 58.00ः, जनपद पंचायत स्तर पर 58.33ः (मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, मई 2022) और ग्राम पंचायत स्तर पर 51.26ः रहा। (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश, 2022)

महिला सशक्तिकरण में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की भूमिका

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। किसी राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान प्रदान किया जाए तथा उन्हें विकास के कार्यो में सहभागिता प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों तक पहुच व सुनिश्चित करती हैं तथा अपनी शक्तियों, सम्भावनाओं, क्षमताओं, योग्यताओं, अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रतिजागरूक होती हैं। भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी महिलाओं को समाज को समानता प्राप्त नहीं हो पाई है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना और उन्हें स्वप्रेरणा से आत्मनिर्भर बनाना है। (सिंह – तिवारी, 2016)

पंचायतें भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का हिस्सा हैं। संविधान के अनुच्छेद 243द (3) पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, 20 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने–अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50ः आरक्षण का प्रावधान किया है। (पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)

साहित्य समीक्षा

स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं की भागीदारी के साथ ही भारत के प्रबुद्ध नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय महिलाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान में सामान राजनीतिक अधिकार मिले हालाँकि वास्तव में कुछ एक सफलताओं को छोड़कर, अधिकांश भारतीय महिलाएं इन अधिकारों का आनंद लेने के मामले में पुरुषों से बहुत पीछे रह गईं। अतः महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई और स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। इसके द्वारा लगभग एक लाख महिलाएं राजनीति में सक्रिय हुई हैं। (कौशिक – शकतावत, 2010)

समाज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बीच सामाजिक समस्याऐं, राजनीतिक समस्याऐं, आर्थिक समस्याऐं, पारिवारिक समस्याऐं, शैक्षणिक समस्याऐं आदि का प्रभाव बना हुआ है। इसके कई कारण हो सकते है, जैसे – सत्ताधारी वर्ग का वर्चस्व, अशिक्षा, बाहुबल का प्रभुत्व, उच्च शिक्षा का अभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ, बैठकों में महिलाओं की नाममात्र उपस्थिति, निर्धनता, जानकारी का अभाव, जातिप्रथा, वैचारिक निर्भरता, आय की कमी, उदासीन दृष्टिकोण, पंचायत भवन व प्रषिक्षण संस्थाओं का अभाव, सांमजस्य का अभाव, स्थानीय संस्थाओं व सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग का अभाव आदि। इन्हीं समस्याओं के चलते पंचायतों में आरक्षण के आधार पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है तथा महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा किया गया है। इससे पता चलता है कि महिलाओं के सन्दर्भ में समाज और संविधान के मध्य गत्यात्मक सम्बन्ध है। (मीना, 2014)

महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन–जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रशासन में जन–सहभागिता जैसे कारकों को बल मिला है। (अश्वनी, 2016)

महिलाओं की भूमिका सभ्यता के संस्कारों का चिंतन करने वाली प्रथम शिक्षक ही नहीं अपितु जीवन के विभिन्न पड़ावों की जरूरत के अनुरूप स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए विभिन्न रूपों में लालन पालन करने वाली अन्नपूर्णा है। इसकी भूमिका आजीविकोपार्जन करने वाले समुदाय से कहीं अधिक है क्योंकि वही है जो मानव जाति को शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने कि क्षमता पैदा करती है तथा सामाजिकता का वातावरण पैदा करके आन्तरिक व बाह्य शांति बनाए रखने की भूमिका निभाती है। (जैन म. , जून 2016)

स्त्री एवं पुरुष के बीच व्यवहारिक विभिन्नता को सामान्य रूप से जेण्डर कहा जाता है, जिसका आधार सामाजिक–सांस्कृतिक होता है। भारत चूंकि गांवों का देश है अतः जब ग्रामीण विकास की बात होती है तो यह जेण्डर असमानता उसे प्रभावित करती है। भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ें इस असमानता को

पोषित करती है। ऐसे में जब ग्रामीण महिलाओं के विकास को देखना है, उन्हें सशक्तिकरण की राह का सजग एवं प्रखर वाहक बनाना है, तो इस असमानता को दूर करने का प्रयास करना ही सार्थक पहल होगी। (शर्मा व शर्मा, 2016)

सशक्तिकरण की प्रक्रिया की सफलता के लिये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों में एक साथ और एक ही समय परिवर्तन लाना आवश्यक हैं। इसके अलावा शक्तिहीनता से समाज के विभिन्न स्तर की महिलाएं विभिन्न रूपों में प्रभावित होती हैं। गरीबी में रहने वाली महिलाएं तो दोहरा भार को ढोती हैं। उन्हें गरीबी की चुनौतियों और के साथ–साथ लैंगिक समानता और के लिए भी संघर्ष करना पड़ता हैं। (सौरभी, 2016)

महिलाओं की ग्रामीण विकास में सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा है। वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है। अन्य योजनाओं की भांति रेशम उद्योग में भी महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है, परन्तु इस उद्योग के प्रबंधन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है।

वर्तमान स्थिति में महिलाओं ने सामाजिक व आर्थिक तस्वीर लगातार बदल कर साहस का जो परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। समाज के हर क्षेत्र में उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आज कई ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें केवल नारी ही संचालित कर रही हैं। नारी को मध्य युग में बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी ही लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है, परन्तु वह सफल हो रही है और आगे भी सफल होगी, यह दैवीय योजना है।

भारत में महिलाओं की विशाल संख्या अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन बिता रही है और इसी कारण समाज में विषमता है। स्थानीय स्व–शासन की इकाईयों में ऐसा बहुत ही कम होता है कि ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने बलबूते पर निर्वाचित हों। अधिकाशतः यह देखा जाता है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होती हैं उसमें पुरुष परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उद्देश्य

ग्राम अथवा नगर का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नही है जब तक कि उसमें स्थानीय जनों की भागीदारी सुनिश्चित न हो। महिला सशक्तिकरण व महिला भागीदारी बढ़ने में स्थानीय स्तर की समस्याओं और उनके समाधान की बेहतर जानकारी व समाधान के उपाय भी उन्हीं के पास हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग व प्रतिनिधित्व ही कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्यन का उद्देश्य मुख्य रूप से पंचायत आम निर्वाचन 2022 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति को जानना है। साथ ही स्थानीय स्वशासन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा मिल रहा है इस बात पर भी प्रस्तुत शोध में प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत शोध अध्यन के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं –

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति का तुलनात्मक अध्यन करना।
2. मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति का जिलेवार तुलनात्मक अध्यन करना।

शोध प्रविधि

मध्य प्रदेश पंचायत आम निर्वाचन मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए जाते है जिनके परिणाम आयोग की वेबसाइट पर डाली जाती है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल पंचायत दर्पण पर भी पंचायत से जुड़े कार्यों के सूचना व निर्देश जारी किए जाते हैं तथा पंचायत से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान की जाती है। प्रस्तुत अध्यन के लिए आवश्यक जानकारी इन्हीं दोनों स्रोतों से मुख्य रूप से प्राप्त कर समंको का उद्देश्य अनुसार सारणीयन करके विभिन्न आंकड़ों का अध्यन कर विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1: मध्यप्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

वर्ष	कुल जिले	मतदान प्रतिशत	निर्वाचन पदों की संख्या			निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की संख्या			महिला प्रतिनिधि का कुल प्रतिशत
			जिला	जनपद	ग्राम	जिला	जनपद	ग्राम	
2005	48	76.61	836	6811	383685	351	2627	143258	39.29
2010	50	80.45	843	6816	386132	472	4054	201312	54.48
2015	51	83.39	841	6774	383451	491	3803	185271	54.27
2022	52	80.97	875	6763	23150	508	3949	11856	52.98

स्त्रोतः मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

उपरोक्त तालिका 1 में वर्तमान मध्यप्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2005 के पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 39.29 : था, जो वर्ष 2010 के पंचायत निर्वाचन में बढ़कर 54.48ः हो गया। वर्ष 2015 के पंचायत निर्वाचन में पिछले पंचायत निर्वाचन की तुलना में मामूली गिरावट के साथ महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 54.27 : रहा तथा वर्ष 2022 के पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में पुनः बढ़कर 55.87 : हो गया है। इस प्रकार विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ग्रामीण महिलाओं का बढ़ता राजनितिक प्रतिनिधित्व महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रही प्रगति का सूचक है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न पंचायत निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की सीमा से अधिक है।

इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के नेत्रित्व की समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है और वे निर्वाचन प्रक्रिया में अपने पुरुष प्रतिद्वंदियों को मात देकर भी चुनी गई हैं।

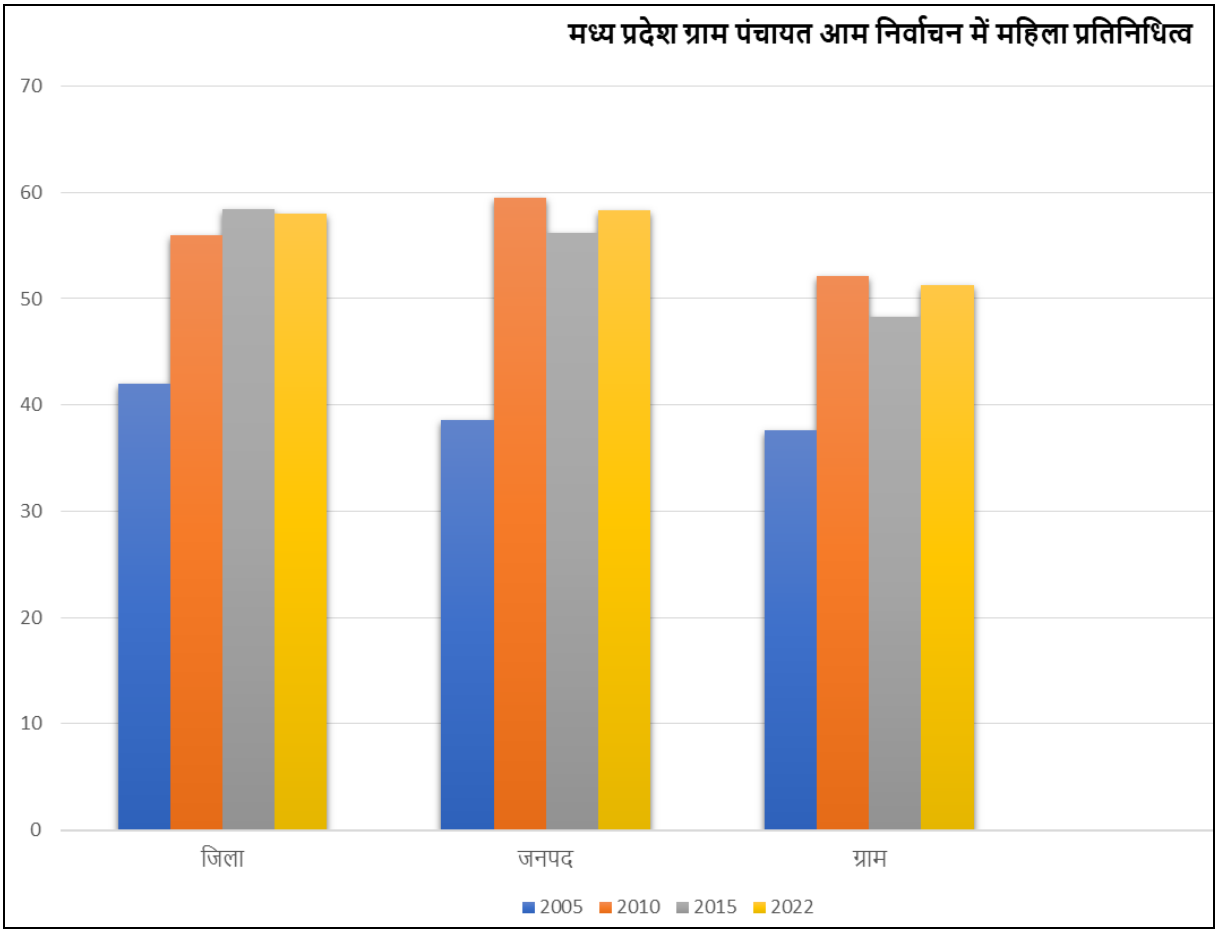

चित्र 1: मध्यप्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में पंचायत के तीनों स्तरों (जिला ग्राम पंचायत, जनपद ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत) में कुल महिला प्रतिनिधित्व

उपरोक्त चित्र 1 के ग्राफ से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में पंचायत के तीनों स्तर (जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत) में महिलाओं के प्रनिधित्व में वृद्धि हुई है। जिला पंचायत स्तर में वर्ष 2005, 2010, 2015 व 2022 में महिलाओं का प्रनिधित्व क्रमशः 41.98:, 55.99:, 58.38: व 58.00: रहा। जनपद पंचायत में यह प्रनिधित्व क्रमशः 38.57:, 59.47:, 56.14: व 58.34: रहा। वहीं ग्राम पंचायत में यह प्रनिधित्व क्रमशः 37.33:, 52.13:, 48.31: व 51.26: रहा।

तालिका 2: मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिलेवार जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

जिला	जिला		जिला पंचायत		जनपद पंचायत		महिला प्रतिनिधि का कुल प्रतिशत	कुल मतदान प्रतिशत
	कुल निर्वाचित	महिला प्रतिनिधि	कुल निर्वाचित	महिला प्रतिनिधि	कुल निर्वाचित	महिला प्रतिनिधि		
भोपाल	10	5	50	30	222	112	52.13	83.4
राजगढ़	18	10	145	99	622	316	54.14	88.7
रायसेन	18	11	144	86	527	266	52.69	80.4
विदिशा	19	13	163	105	577	290	53.75	84.6
सीहोर	17	8	114	65	524	265	51.60	87.2
श्योपुर	11	6	65	37	237	119	51.76	83.1
मुरैना	20	10	172	100	478	240	52.24	76.3
भिंड	21	14	139	81	447	231	53.71	70.6
अशोकनगर	11	8	93	55	335	170	53.08	86.2
गुना	18	10	122	90	425	228	58.05	84.5
ग्वालियर	13	8	100	57	266	134	52.51	80
दतिया	10	5	73	48	290	145	53.08	84.6
शिवपुरी	25	17	193	112	600	334	56.60	85.4
अलीराजपुर	13	7	89	48	288	152	53.08	73.7
इन्दौर	17	11	100	60	334	170	53.44	79.8
खंडवा	16	9	143	93	423	218	54.98	76.1
खरगोन	26	14	197	110	594	304	52.39	81.2
झाबुआ	14	9	114	63	375	189	51.89	79.9

धार	28	15	248	148	764	405	54.62	79.8
बुरहानपुर	10	5	50	30	167	95	57.27	76.8
बड़वानी	14	9	129	75	416	214	53.31	80.4
कटनी	14	8	121	68	407	204	51.66	78.1
छिंदवाड़ा	26	15	220	127	790	396	51.93	83.4
जबलपुर	17	9	156	85	527	267	51.57	78.5
डिंडौरी	10	6	99	55	364	186	52.22	80.7
बालाघाट	27	15	220	115	690	348	51.01	81.2
सिवनी	19	10	158	88	645	324	51.34	83.1
मंडला	16	9	151	79	490	260	52.97	79.3
नरसिंहपुर	15	9	131	87	450	226	54.03	78.4
हरदा	10	5	74	43	223	112	52.12	75.9
नर्मदापुरम	15	8	129	80	431	219	53.39	81.7
बैतूल	23	12	216	121	556	281	52.08	82.1
रीवा	32	20	223	137	827	414	52.77	69.2
सतना	26	15	191	112	695	356	52.96	75.8
सीधी	17	11	107	66	400	207	54.20	70.5
सिंगरौली	14	8	75	44	328	165	52.04	74,3
छतरपुर	22	14	180	107	559	295	54.66	78.3
टीकमगढ़	17	12	100	59	324	163	53.06	81.5
दमोह	15	12	143	96	460	258	59.22	79
पन्ना	15	9	125	73	392	207	54.32	80.9
सागर	26	14	238	135	806	404	51.68	77.6
निवाड़ी	10	6	46	24	136	69	51.56	84.8
अनूपपुर	11	6	75	43	282	150	54.08	77.7
उमरिया	10	5	62	33	240	121	50.96	79.1
शहडोल	14	8	119	68	391	201	52.86	78.5
आगरमालवा	10	6	63	36	237	119	51.94	88.4
उज्जैन	21	11	148	77	609	305	50.51	85.4
देवास	18	10	138	79	496	252	52.30	84.5
नीमच	10	7	75	42	243	124	52.74	89.3
मंदसौर	17	9	115	58	469	236	50.42	87.2
रतलाम	16	8	124	62	419	211	50.27	88.9
शाजापुर	13	7	98	58	353	179	52.59	87.7
कुल	875	508	6763	3949	23150	11856	52.98	80.97

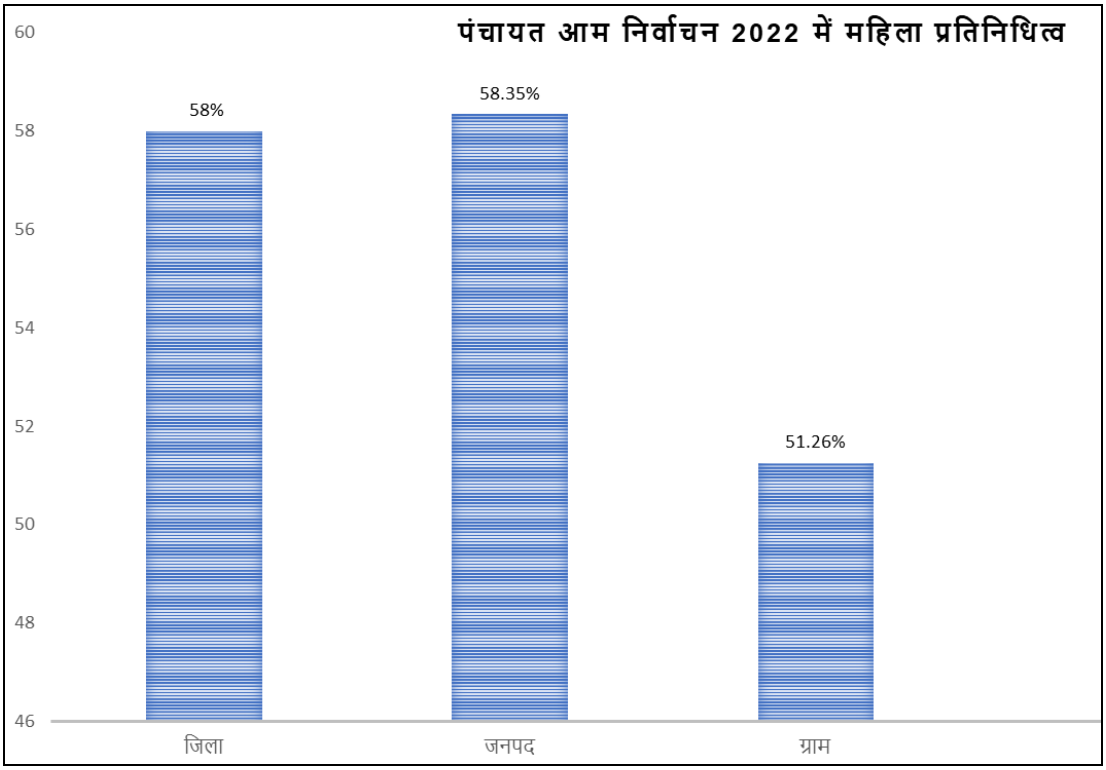

चित्र 2: पंचायत आम निर्वाचन 2022 में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत

उपरोक्त तालिका 2 व चित्र 2 में मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिलेवार जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति को दर्शाया गया है। मध्यप्रदेश स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50: आरक्षण की व्यवस्था की गई है, परन्तु सभी जिलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50: की सीमा से अधिक रहा।

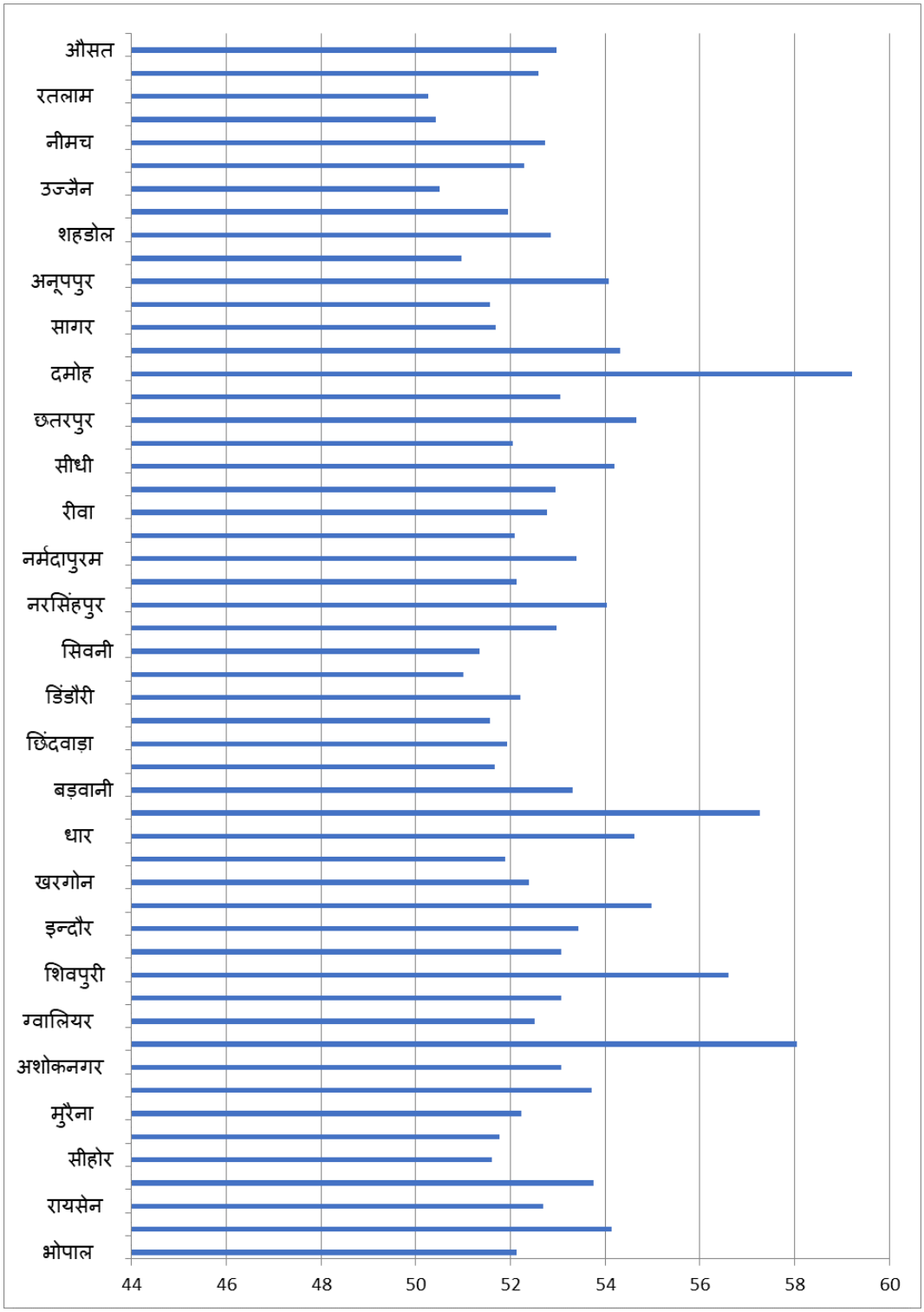

चित्र 3: मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिलेवार जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

उपरोक्त तालिका 2 तथा चित्र 3 के अनुसार, मध्यप्रदेशस्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50: आरक्षण की व्यवस्था की गई है, परन्तु सभी जिलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50: की सीमा से अधिक रहा।पंचायतनिर्वाचन 2022 में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 52.98: रहा। विदिशा, राजगढ़, रायसेन, भिंड, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, अलीराजपुर, खंडवा, धार, अनुपपुर, और नर्मदापुरम जिले में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसत से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि इन जिलों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र है।

परिणाम

महात्मा गांधी के अनुसार 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है।' गाँधी जी के अनुसार गांव के विकास से ही देश की उन्नति संभव है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, महिला शिक्षा, गांव की सफाई व ग्रामीण आरोग्य के माध्यम से एक स्वावलंबी, सशक्त व उन्नत भारत का सपना देखा था। वे स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां ऊंच–नीच और महिला–पुरुष का भेद पूर्णतः समाप्त हो और सभी अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चयन कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। (जैन – जैन, 2016)

प्रस्तुत शोध अध्यन में मध्यप्रदेश के विभिन्न पंचायत आम निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिलाओं के कुल प्रतिनिधित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हुई है। यह महिलाओं की बढती राजनीतिक सहभागिता के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो प्रगति का सूचक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से प्रारम्भ यह पहल लोकसभा व विधानसभाओं के लिए एक अच्छा उदहारण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत शोध अध्यन के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत आम निर्वाचन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विभिन्न स्तरों (जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत) में भी महिलाओं के प्रनिधित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हुई है। पंचायत निर्वाचन 2022 में जिलेवार महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 52.98: रहा। विदिशा, राजगढ़, रायसेन, भिंड, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, अलीराजपुर, खंडवा, धार, अनुपपुर, और नर्मदापुरम जिले में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसत से अधिक है। अतः कहा जा सकता है कि इन जिलों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र है।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के मार्ग में अनेक बाधाएं आज भी विद्यमान हैं, जैसे निरक्षरता, पर्दाप्रथा, महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता, महिला प्रतिनिधियों के कार्य पर घर के पुरुष सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप, दोहरे सामाजिक मूल्य, पारम्परिक सामाजिक पृष्ठभूमि, महिलाओं में झिझक, अज्ञानता, आर्थिक पिछड़ापन तथा महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा आदि। परिणामस्वरूप वे उतने अच्छे ढंग से अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पा रहीं है (नीता, नवम्बर 2019) इस हेतु स्थानीय प्रबंधन का दायित्व तथा अधिकार जनता को सौंपने के उद्देश्य से विकेंद्रीकृत स्वशासन की अवधारणा ने जन्म लिया, ताकि स्थानीय स्तर पर योग्य प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता के क्षेत्रीय, सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। (सिंह द. , 2016) प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन 2022 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण और विभिन्न अध्ययनों के द्वारा अंतिम परिणाम के रूप में यह पाया गया है कि पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्तर महिलाओं हेतु सुनिश्चित आरक्षण के प्रतिशत से अधिक है और यह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह प्रोत्साहित करने वाला पहलू है, परंतु महिला प्रतिनिधियों की विकास की प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने में अभी भी कई बाधक तत्व मौजूद हैं, जो महिला सशक्तिकरण व महिलाओं की शासन में भागीदारी को प्रभावित करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

सुझाव के मुख्य बिंदु

- महिला–पुरुष समानता की प्राप्ति तथा महिलाओं की शासन तथा विकास की प्रक्रिया में वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- महिला संगठनों (जिनका संबंध मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी व नेतृत्व बढ़ाने में हो) को वैधानिक मान्यता व प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- समता, समानता, प्रेम व अहिंसा के द्वारा प्रकृति के प्रमुख घटकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए।
- महिलाओं को मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों व कानूनी प्रावधनों के प्रति प्रत्येक स्तर पर जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता व डिजिटल अपराध के रोकथाम कि दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की सहायता से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- शिक्षा, साक्षरता, रोजगार व स्वावलंबन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उचित प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों से जोड़ते हुए महिलाओं के बहुआयामी विकास की योजनाएं तैयार करना चाहिए।
- रोजगार व कुशलता के क्षेत्र में व्यवस्थित प्रणाली तैयार करना। जैसे – प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के द्वारा महिला कृषको को उचित तकनीकी व कौशल प्रदान करना।
- ग्राम के विकास हेतु लिए गए निर्णय में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्थानीय सरकारों में भाग लेने वाले लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें जनहित की सेवा हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।
- स्थानीय सरकारों के कार्यों का समय पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिये, जिससे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।
- पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर बिना क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के होना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. अनुपमा कौशिक, – गायत्री शकतावत. (2010). वुमन इन पंचायत राज इंस्टीटूयुसन. जर्नल ऑफ़ डेवलपिंग सोसायटी, 473–483.
2. अनुपमा जायसवाल. (2016). पंचायती राज मेंअनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीती सहभागिता. ग्रामीण विकास समीक्षा, 1–8.
3. अमरनाथ शर्मा, – सुचित्रा शर्मा. (2016). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेण्डर आधारित भेदभाव. ग्रामीण विकास समीक्षा, 112–117.
4. अरविंद कुमार शर्मा. (2016). महिला सशक्तिकरण में डिजिटल साक्षरता का योगदान. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
5. अविनाश मिश्रा. (2016). भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का योगदान. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.

6. अशोक कुमार जायसवाल. (2016). छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों में महिला सशक्तिकरण. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
7. अश्वनी. (2016). महिला नेतृत्व और पंचायती राज. आर जे पी पी.
8. आशीष कुमार तिवारी. (2016). महिला सशक्तिकरण रू भारतीय परिदृश्य अवलोकन. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
9. गीता तिवारी, – हेम चन्द्र. (2019). पंचायती राज में महिलाओं की राजनितिक व् प्रशासनिक भूमिका – एक अवलोकन. जर्नल ऑफ़ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इंस्टिट्यूट, 137–144.
10. डॉ. नीता. (नवम्बर 2019). पंचायतीराजः महिलाओं की राजनितिक सहभागिता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इनोवेसन रिसर्च स्टडीज, 15–19.
11. दशमंत दास पटेल, – राजेश कुमार मर्सकोले. (2016). भारत में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की भूमिका. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
12. दिनेश कुमार चौधरी. (2016). ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिकाः समाजशास्त्रीय अध्ययन. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
13. दिलीप सिंह. (2016). सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण और चुनौतियां. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
14. दीपा जैन, – लोकेश जैन. (2016). महिला सशक्तिकरण हेतु गांधी विचार जैन धर्म की भूमिकाः एक अवलोकन. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक, 9–17.
15. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश. (2022). जिलावार जानकारी. पंचायत दर्पणः https://prd-mp-gov-in/PanchParmeshwar/Public/DistrictWiseSummary-aspx से, 2022 को पुनर्प्राप्त
16. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार. (23 सितम्बर 2022). पंचायतों में प्रतिनिधित्व. पंचायती राज मंत्रालयः https://pib-gov in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1658145 से, 23 सितम्बर 2022 को पुनर्प्राप्त
17. मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग. (मई 2022). त्रि स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2022. भोपालरू मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग.
18. मीनाक्षी सौरभी. (2016). ग्रामीण महिला सशक्तिकर्ण और स्वसहायता समूह. ग्रामीण विकास समीक्षा, 211–223.
19. मीनू जैन. (जून 2016). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं आरोग्य. ग्रामीण विकास समीक्षा, 143–147.
20. रमेश प्रसाद द्विवेदी. (2016). भारत में महिला सशक्तिकरण. ग्रामीण विकास समीक्षा, 90–111.
21. शिवजी अर गड़े, अनंता सरकार, – सागर वाडकर. (2016). कृषिरत महिलाः बढ़ती जिम्मेदारियों और चुनौतियां. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
22. शोभा सिंह, – अनुजा तिवारी. (2016). महिला सशक्तिकरण यथार्थ और चुनौतियां. ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक.
23. सोनू लाल मीना. (2014). पंचायती राज में महिला नेतृत्व – सवाईमाधोपुर एवं करोली जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्यन. सवाईमाधोपुरः कोटा विश्वविद्यालय.